उत्तर प्रदेश सरकार
श्रम अनुभाग–2
संख्या– 302/36–2–2010
लखनऊःदिनांकः 18 मार्च, 2010

श्रम० (संरक्षा)

कार्यालय ज्ञाप

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–12 एवं उ0 प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के नियम–275 और 276 के अंतर्गत भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के लाभार्थी स्वरूप पंजीयन की व्यवस्था को प्रदेश में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा–12(2) एवं नियमावली के नियम–276(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर एवं श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर के कार्यालय में तैनात समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्तों को सम्पूर्ण उ0प्र0 के लिये तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को अपनी–अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत, लाभार्थियों के रूप में भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण करने हेतु प्राधिकृत रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त करते है। उक्त प्रकार प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी नियमावली. के नियम–275, 276 एवं नियम–277 का प्रभावी अनुपालन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करते हुये प्रगति से नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से श्रमायुक्त, उ0प्र0 को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा संकलित सूचना बोर्ड को नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जायेगी।

19-3-10

डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव/प्रशासक।
उ0 प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

संख्या–302(1)/36–2–2010–तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रभावी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 (द्वारा श्रमायुक्त)।
3– संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष (द्वारा श्रमायुक्त)।

आज्ञा से,
(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश जी0टी0 रोड, कानपुर

पत्र सं0– 738-864 /[illegible]-10 दिनांक 19/3/ 2010

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ [illegible] कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त क्षेत्रीय अपर/ उप [illegible] तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात समस्त सहायक श्रमायुक्त को सूचनार्थ इस आशय से प्रेषित [illegible] कि [illegible] अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में प्रभावी [illegible] सुनिश्चित करवायें। आप अवगत ही है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.[illegible] [illegible] दिशा–निर्देशों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित होनी है ताकि माह [illegible] 2010 में प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन आख्या में प्रगति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सके। [illegible] प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 [illegible] है कि कृपया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लाभार्थी स्वरूप पंजीयन [illegible] सुनिश्चित करने हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने की [illegible]

(पंकज कुमार) 19.3.10,
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।